

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2026 — ज्येष्ठ 14, शक 1948

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/18243/2026-MRD.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, के साथ सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म	मान्य योग्य व्यक्ति की पहचान की स्वीकृति।	30 कार्य दिवस	अपर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	संचालक	सचिव, खनिज साधन विभाग	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-28 की अपेक्षा अनुसार आवेदन/दस्तावेज
2 (अ)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची-एक के भाग-क एवं ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्खनन योजना का अनुमोदन।	30 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक (खनि प्रशासन)	अपर संचालक	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से। अनुमोदन के अनुक्रम में यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होने

							की दशा में अनुमोदन की समय सीमा अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।
2 (ब)	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची-एक के भाग-ग, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिजों एवं साधारण रेत की उत्खनन योजना का अनुमोदन।	30 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ खनि अधिकारी	अपर संचालक	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से। अनुमोदन के अनुक्रम में यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होने की दशा में अनुमोदन की समय सीमा अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।
2 (स)	जिला कलेक्टर का कार्यालय (भौमिकी तथा खनिकर्म)	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची-एक के भाग-ग, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिजों एवं साधारण रेत की उत्खनन योजना का अनुमोदन।	30 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनिप्रशासन) / जिला खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी	अपर संचालक	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से। अनुमोदन के अनुक्रम में यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होने की दशा में अनुमोदन की समय सीमा अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।
3	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	गौण खनिज साधारण रेत के परिवहन हेतु अभिवहन पार-पत्र जारी किया जाना।	3 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 4 के अनुसार केवल गौण खनिज साधारण रेत के लिए लागू होगी।

4	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	गौण खनिज साधारण रेत का रायल्टी पेड अभिवहन पार-पत्र जारी किया जाना।	10 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	
5	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	रायल्टी कर निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना।	60 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	प्रमाण पत्र हेतु सुसंगत दस्तावेज जमा किये जाने की तिथि से।
6	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	अदेय प्रमाण पत्र जारी करना।	60 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	प्रमाण पत्र हेतु सुसंगत दस्तावेज जमा किये जाने की तिथि से।
7	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	एंड यूजर का पंजीयन	15 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	खनिज ऑनलाईन पोर्टल में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से।
8	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	तोल मशीन का इंटेग्रेशन (खनिज ऑनलाईन पोर्टल में)	30 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात। यदि कोई प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होने के अनुक्रम में, समय सीमा अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।
9	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	गौण खनिजों की समेकित अनुज्ञप्ति जारी करना।	45 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	आशय पत्र की समस्त शर्तों एवं निर्बंधनों को पूर्ण किये जाने के पश्चात।
10	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	गौण खनिजों का उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाना।	45 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	आशय पत्र की समस्त शर्तों एवं निर्बंधनों को पूर्ण किये जाने के पश्चात।
11	जिला	गौण खनिजों के	30 कार्य दिवस	उप-संचालक	कलेक्टर	संचालक,	आशय पत्र की

	कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जाना।	दिवस	(खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी		भौमिकी तथा खनिकर्म	समस्त शर्तों एवं निर्बंधनों को पूर्ण किये जाने के पश्चात।
12	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	उत्खनन पट्टे के अनुमोदन का अंतरण।	60 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात। यदि कोई अतिरिक्त प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।
13	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनि शाखा)	रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	30 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात/ सत्यापित प्रतिवेदन या प्रस्तुत करने के पश्चात/ आवश्यकतानुसार अन्य जिले से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त/ प्रस्तुत किये जाने की तिथि से।
14	जिला कलेक्टर का कार्यालय (खनिशाखा)	गैर खनन क्रियाकलापों के दौरान खुदाई कार्य से प्राप्त गौण खनिजों के निपटारे के लिए अनुमति।	15 कार्य दिवस	उप-संचालक (खनि प्रशासन)/ जिला खनि अधिकारी/ सहायक खनि अधिकारी	कलेक्टर	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म	सुसंगत दस्तावेज एवं अनापत्ति प्रमाण जमा किये के पश्चात। यदि कोई प्रश्न/ अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होने की दशा में अनुमति जारी की समय सीमा अतिरिक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आरंभ होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनायक शर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd June 2026

NOTIFICATION

No. GENS/18243/2026-MRD.— In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the Name of Office services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Office/ Body/ Agency	Service to be Provided under the Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for Providing the Service (Working Days)	Public Authority service (Designation)	Competent Authority	Appellate Officer	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Directorate of geology and Mining	Grant of recognition of Recognized Qualified Person (RQP)	30 Working Days	Additional Director, Geology and Mining	Director	Secretary Mineral Resources Department	Application/Documents as required in rule 28 of CG Minor Mineral rule, 2015
2(a)	Directorate of geology and Mining	Approval of Quarry Plan for minerals specified in part-A & B of Schedule-I of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015	30 Working Days	Joint Director (Mineral Administration)	Additional Director	Director, Geology and Mining	After submission of relevant documents. If any quarry/additional document would be required in the course of approval, the time limit will be start from 0 date from the submission of additional document.
2(b)	Directorate of geology and Mining	Approval of Quarry Plan for minerals specified in part-C of Schedule-I, Schedule-II of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Ordinary Sand	30 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer	Additional Director	Director, Geology and Mining	After submission of relevant documents. If any quarry/additional document would be required in the course of approval, the time limit will be start from date from the submission of additional document.
2(c)	Office of	Approval of	30 Working	Deputy Director	Additional	Director,	After

	District Collector (Mining Branch)	Quarry Plan for minerals specified in part-C of Schedule-I, Schedule-II of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Ordinary Sand	Days	(Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Director	Geology and Mining	submission of relevant documents. If any quarry/additional document would be required in the course of approval, the time limit will be start from date from the submission of additional document.
3	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of Transit Pass (TP) for mineral transport of minor mineral sand	3 working days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	Applicable only for the ordinary sand as per the Rule-4 of Chhattisgarh Mineral (Mining, Transportation and Storage) Rule, 2009.
4	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of royalty paid Transit Pass for minor mineral sand	10 Working Day	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	
5	Office of District Collector (Mining Branch)	Submission of royalty assessment report	60 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	From the date of submission of relevant records for the assessment.
6	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of No Dues Certificate	60 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	From the date of submission of relevant records for the certification.
7	Office of District Collector (Mining Branch)	End User Registration	15 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	From the date of application received in Khanij Online portal
8	Office of District Collector (Mining Branch)	Weighbridge Integration (khanij Online Portal)	30 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After submission of relevant documents. If any quarry/additional document would be required in the

							course of approval, the time limit will be start from date from the submission of additional document.
9	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of Composite License for minor minerals	45 working days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After the fulfilment of all term and condition of LOI.
10	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of Quarry Lease for minor minerals	45 working days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After the fulfilment of all term and condition of LOI.
11	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of temporary permit for minor minerals	30 working days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After the fulfilment of all term and condition of LOI.
12	Office of District Collector (Mining Branch)	Transfer approval of Quarry Lease	60 working days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After submission of relevant documents. If any quarry/additional document would be required in the course of approval, the time limit will be start from date from the submission of additional document.
13	Office of District Collector (Mining Branch)	Issuance of Royalty Clearance Certificate	30 Working Days	Deputy Director (Mineral Administration) /District Mining Officer/Assistant Mining Officer	Collector	Director, Geology and Mining	After submission of required documents/verification Reports or after the submission/obtained the verification reports from other districts, as required.
14	Office of District	Permission for disposal of	15 Working Days	Deputy Director (Mineral	Collector	Director, Geology and	After submission of

	Collector (Mining Branch)	minor minerals obtained during the non mining activity		Administration) /District Mining Officer/Assista nt Mining Officer		Mining	relevant documents and NOC. If any quarry/additiona l document would be required in the course of issuance of permission, the time limit will be start from date from the submission of additional document.
--	---------------------------------	---	--	--	--	--------	---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINAYAK SHARMA, Deputy Secretary.